

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरु  
पिठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

| लीला         | बनाम        | राजस्थान सरकार |
|--------------|-------------|----------------|
| मुकदमा नम्बर | किस्म वाद   | निर्णय दिनांक  |
| 172 / 2022   | 88RTA       | 26-08-2022     |
|              | दर्ज दिनांक | 26-08-2022     |

वादी की ओर से स्वयं वादी व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.08.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री किया जाता है कि :-

दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम कड़वासर खाता संख्या 169 खसरा नम्बर 882/535, 883/535, 886/89, 887/89 की जमाबंदी में अंकित सावित्री पुत्री चानण के स्थान पर लीला पुत्री चानण किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह अगस्त सन् 2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर,

चूरु

